कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, जम्मू सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बनतालाब, जम्मू(जम्मू एवं कश्मीर)–181123

विज्ञापन

केन्दीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/चालक(पुरूष) की भर्ती

1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/चालक (पुरूष) के पदों के लिए ग्रुप केन्द्र के0रि0पु0बल, बनतालाब, जम्मू(जम्मू व कश्मीर) में खुली रैली के आधार पर देश के किसी भी भाग के अभ्यार्थियों के लिए दिनांक 09/07/2010 को 0900 बजे से भर्ती की जाएगी । सिपाही/चालक पदों के लिए श्रेणीवार रिक्तियॉ एवं अन्य पात्रताओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

पद का नाम	सामान्य	अनूसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
सिपाही/चालक	4	01	01	02	8
कुल					8

नोट :– 1. प्रशासनिक कारणों से उक्त रिक्तियॉ कम अथवा ज्यादा भी हो सकती हैं ।
2. प्रत्येक श्रेणी की कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित है। यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक भर्ती हेतु योग्य नही पाए गये तो आरक्षित रिक्तयों को संबंद्ध श्रेणियों से भरा जाएगा ।

भर्ती की तारीख / समय सारणी

पद का नाम	तारीख	समय
सिपाही/चालक	09/07/2010	पंजीकरण तथा पंजीकरण स्लीप ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, बंतलाब, जम्मू में दिंनाक 09/07/2010 को शुबह 0900 बजे से 1700 बजे तक जारी की जाएगी।

2. वेतनमान :– वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20,200/– एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–

3. अन्य भत्ते :– केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर देय अन्य भत्ते ।

4. तैनाती स्थान :– भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर किसी भी क्षेत्र में ।

5. भर्ती हेतु उम्मीदवारों की अधिवासिता के लिए कोई प्रतिबंध नही है ।

6. भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर होगी ।

7. सभी चयनित उम्मीदवारों पर दिनांक 01/01/2004 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नई अंशदायी पेंशन योजना प्रभावी होगी ।

8. इस भर्ती मेंं के0रि0पु0बल कार्मिकों के आश्रित/बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। उनको भी अन्य सामान्य अभ्यार्थियों की तरह से ही परीक्षा देनी होगी। सेवारत कार्मिक/मृत/अशक्तता के कारण सेवा से बाहर किए गए कार्मिकों के बच्चों/आश्रितों के लिए संबंधित ग्रुप केन्द्र/बटालियन के द्वारा अण्डटेकिंग

प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी के बारे में पूर्ण जानकारी होगी, ताकि कोई के0रि0पु0बल के आश्रितों/बच्चों के नाम पर गलत उम्मीदवार भर्ती न हो सके।

9. <u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूटः–</u>

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती प्रकिया में छूट :–

ए)	शारीरिक मापदण्ड	: पूर्ण छूट
बी)	शैक्षणिक योग्यता	: पूर्ण छूट
सी)	चरित्र प्रमाण पत्र	: कम से कम अच्छा होना चाहिए
डी)	चिकित्सा श्रेणी	: श्रेणी शेप–एक
ई)	आयु सीमा में ऊपरी छूट	: आर्मी सेवा के साथ 03 साल की छूट जैसा कि डीओपीटी की अधि सूचनासं0 3016/10/79/–स्था0–एक दिनांक 15/12/79 में दी गई है। आर्मी सेवा समाप्ति और के0रि0पु0बल में पुनः रोजगार में आने के बीच का समय 24 माह से अधिक का न हो।

एफ) केरिपुबल में, भूतपूर्व सैनिकों के लिए किसी भी प्रकार की शारीरिक दक्षता परीक्षा देय नहीं है फिर भी उन्हें लिखित परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण देनी होगी।

10. <u>उपरोक्त पदों के लिए वाछंनीय योग्यताएंः–</u>

ए) शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या 10 वीं पास

<u>तकनीकी योग्यता</u> :

1. सिपाही/चालक के पद हेतु उम्मीदवारों के पास वैघ भारी मोटर परिवहन लाईसेन्स (एच0टी0वी0) होना चाहिए तथा भर्ती के समय उन्हे ड्राईविगं टैस्ट में उत्तीर्ण होना होगा ।

बी) आयु :दिनांक 1/8/2009 को 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए।

<u>उपरी आयुसीमा में निम्नानुसार छूट देय हैः–</u>

(ए) अनु0जाति/अनु0जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए 03 साल की छूट देय होगी।

(बी) वर्ष 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों/बच्चों के लिए भी 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि यह अभ्यार्थी एससी0 /एसटी0 और अ0पि0 वर्ग का है तो उसे यह छूट उसको (ए) में दी गई छूट के

अतिरिक्त होगी। यह छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यार्थी (अर्थात मारे गये व्यक्ति के बच्चे/परिवार के आश्रित) को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा जिस जिले में वह मारा गया है ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 6/12/2005, 7/12/2007 एवं 23/11/2009 की अधिसूचना संख्या 15012/7/ 1991– स्था0(ध) के अनुसार दिनांक 1/1/1980 से 31/12/1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर में निवास किए गए सभी व्यक्तियों को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय है। जो उम्मीदवार इस छूट का लाभ लेना चाहते है, उन्हें निम्न प्राधिकारियों द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

(अ) जिला मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्राधिकार में वे सामान्यतः रहे हो

या

(ब) जम्मू व कश्मीर सरकार की ओर से अधिकृत किए गए अन्य कोई प्राधिकारी।

सी) <u>चिकित्सा परीक्षा</u>

ए) नेत्र दृष्टि : दूरस्थ दृष्टि

(1) चश्में के बिना दोनों ऑखों का न्यूनतम दृष्टि 6/6 एवं 6/9 बिना किसी त्रुटि के होना चाहिए।

(2) रंगान्धता दोषों से मुक्त होना चाहिए।

बी) उम्मीदवार को धनुषाकार टॉगें, आपस में टकराते घुटने, सपाट तलवे,वेरीकोज वेन, ऑखों का भेंगापन नहीं होना चाहिए। वे मानसिक/शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उनमें ऐसा कोई दोष नहीं हो जिससे प्रभावी ढंग से ड्यूटी करने में बाधा उत्पन्न हो।

डी) <u>शारीरिक मापदंड</u>

ए) ऊंचाई : <u>न्यूनतम ऊंचाई 170 सेमी</u>

<u>छूट</u>

गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम,नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश,मणीपुर,त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उचाई 165 सेमी0 होगी। सभी अनुसूचित जनजातियों के पुरूष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 162.5 सेमी होगी।

बी) सीना : बिना फुलाए – 80 से0मी0
फुला कर – 85 से0मी0
(कम से कम 05 सेमी का फुलाव होना चाहिए)

छूट

गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणीपुर,त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 78 सेमी (कम से कम फुलाव 05 सेमी) होगा। सभी अनुसूचित जनजातियों के पुरूष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेमी (कम से कम फुलाव 05 सेमी) होगा।
उम्मीदवारों को उॅंचाई एवं सीने में छूट के लिए परिशिष्ठ"III" के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सी) भार : चिकित्सा स्तर के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में ।

11. चयन प्रकिया

उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती रैली पद्धति के आधार पर होगी। इच्छुक/पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि तथा समयानुसार भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को निम्नलिखित टैस्ट से गुजरना होगाः–

(ए) ऊंचाई बार

भर्ती के शुरूआती चरण में उम्मीदवारों को ऊंचाई बार से गुजरने के लिए कहा जाएगा और उसमें जिनकी ऊंचाई कम पाई जाएगी उनको अस्वीकार करने संबंधी स्लिप दी जाएगी तदानुसार उनको अगली भर्ती प्रकिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा ।

बी) 05 कि0मी0 दौड (क्वालीफाई नेचर)

जो उम्मीदवार ऊंचाई बार प्रकिया में सफल होगें उन्हें 05 कि0मी0 दौड 24 मिनट में पूरी करनी होगी।

नोट :–
जो उम्मीदवार 05 कि0मी0 दौड में सफल नहीं होंगे उन्हें अगले चरण के लिए अयोग्य घोषित कर अस्वीकार स्लिप (रिजैक्शन स्लिप) दी जाएगी।

सी) उम्मीदवारों की पहचान

जो उम्मीदवार 05 कि0मी0 दौड में सफल होगा उसे भर्ती के सभी चरणों के लिए नवीनतम बायोमैट्रिक प्रकिया से गुजरना होगा ताकि कोई धोखाधडी न हो सके। (कम्पयूटर पर आधारित बायोमैट्रिक उपकरण के अभाव में, उम्मीदवार की

पहचान के लिए उसके अंगूठे की छाप, डिजीटल फोटाग्राफ और शरीर पर कोई भी विशिष्ट प्रकार के पहचान चिन्ह का प्रयोग किया जायेगा)

डी) <u>कागजातों का जॉच</u>

पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों के मूल कागजातों/दस्तावेजों की जॉच की जाएगी और केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार, अपेक्षित <u>कागजातों/प्रमाण</u> पत्रों को उपलब्ध्ध नहीं करा पायेगा तो उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

ई) <u>शारीरिक मापतौल</u>

जो उम्मीदवार कागजातों की जॉच पडताल में योग्य पाए जाएगें, उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उँचाई, सीना और वजन की माप–तौल की जाएगी। जो उम्मीदवार शारीरिक माप–तौल की शर्तों को पूरा करेगा उसे शारीरिक दक्षता जॉच में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाएगी और जो उम्मीदवार शारीरिक माप–तौल की शर्तों को पूरा नहीं करेगा उसे भर्ती के अगले चरण में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। उम्मीदवार को कारण दर्शाते हुए अस्वीकार स्लिप दी जाएगी। नाप–तौल से संबंधित किसी भी विवाद को उसी जगह पीठासीन अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा और इस मामले में उनका निर्णय ही अन्तिम होगा।

एफ) <u>शारिरिक दक्षता टैस्ट</u>

शारीरिक दक्षता टैस्ट में निम्नलिखित को क्वालीफाई करना होगा।

(1) 11 फिट लम्बी कूद (03 चांस दिए जाएगें)

(2) 3.5 फिट ऊंची कूद (03 चांस दिए जाएगें)

नोटः–

उम्मीदवार को उक्त चरणों को क्वालीफाई करना होगा। उक्त पी0ई0टी0 के किसी भी चरण में असफल हुए उम्मीदवारों को भर्ती की अगली प्रक्रिया हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें इस बाबत् एक रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी जिसमें उनके असफल होने का कारण वर्णित होगा।

जी) <u>ट्रेड टैस्टः–</u>

पी0ई0टी0 टैस्ट में सफल हुए उम्मीदवारों का बोर्ड द्वारा उनसे संबंधित ट्रेड/जॉब दक्षता का टैस्ट लिया जाएगा।

एच) <u>लिखित परीक्षा (100 अंक):–</u>

i) जो उम्मीदवार अपने से संबंधित ट्रेड में दक्ष/कुशल पाया जाएगा वह लिखित परीक्षा में सम्मिलित होगा।

ii) लिखित परीक्षा 01 घंटा 30 मिनट की होगी और इसके 02 भाग होगें तथा अधिकतम 100 अंक है, इनमें से 50 अंक वर्णनात्मक निबंध/पत्र लेखन (100 शब्द हिन्दी में या अंग्रेजी में) और वर्णनात्मक प्रश्न जो सामान्य ज्ञान और पर्यावरण पर आधारित होगें

और शेष 50 अंक वस्तुनिष्ठ टैस्ट जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित योग्यता एवं रिजनिंग टैस्ट के लिए आबंटित किए गए है।

iii) इस प्रश्न पत्र में सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, गणित पर आधारित ज्ञान, परखने की योग्यता और उम्मीदवार के बेसिक ज्ञान का टैस्ट हिन्दी या अंग्रेजी में लिया जाएगा। ट्रैड टैस्ट के बाद ही लिखित परीक्षा ली जाएगी।

iv) उत्तर को केवल वॉल पेन से लिखा/मार्क किया जाएगा।

आई) <u>चिकित्सा परीक्षण</u>

क) शारीरिक माप–तोल, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारों को वरीयता सूची के आधार पर चिकित्सा जांच परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा जिसमें उनकी शारीरिक एवं चिकित्सा की उपयुक्तता की जॉच की जायेगी ।

नोटः– प्रत्येक वर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर एवं पूर्व अनुभव के आधार पर सामान्य प्रत्याशित असफलता (नोरमल एन्टीसिपेटड फेलियरस्) के अनुसार उम्मीदवारों को चिकित्सा जॉच हेतु बुलाया जायेगा। फिर भी यदि शार्टफाल होता है, तो भी दुबारा चिकित्सा जॉच की कार्रवाई नहीं की जायेगी ।

<u>ख) चिकित्सीय परीक्षण के विरूद्व अपीलः</u> चिकित्सीय परीक्षण में ''अस्थायी रूप से अयोग्य'' को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति हेतु अनफिट घोषित उम्मीदवार को भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे अनफिट घोषित किये जाने के कारणों को पूरे विवरण सहित सूचित किया जायेगा । यदि उम्मीदवार चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्ष से सन्तुष्ट नहीं है तो वह पुनः चिकित्सा परीक्षा हेतु 'एनेक्जर–IV' में दिये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र में अपने फिटनेस के सबूत के साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बंतलाब, पोस्ट आफिस बंतलाब,जिला जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) पिन कोड सं0 181123 को अपील प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे चिकित्सा प्रमाण–पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें चिकित्साधिकारी द्वारा यह नोट न दिया गया हो कि उसे इस बात की पूरी तरह जानकारी है कि उम्मीदवार को पहले ही केरिपुबल के चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु अनफिट घोषित किया जा चुका है। अपील के साथ फीस के रूप में रू0 25/– (रूपये पच्चीस मात्र) के रेखांकित इंडियन पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो कि अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, बनतालाब को देय हो, संलग्न करना होगा। यह संलग्न नहीं किये जाने पर अपील पर विचार नहीं किया जायेगा और यह अपील भर्ती बोर्ड के चिकित्साधिकारी के निष्कर्ष को उम्मीदवार को सूचित करने की तिथि के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी ।

जे) <u>अन्तिम चयन</u>

उम्मीदवार का अन्तिम चयन उस श्रेणी में ग्रुणनुकम सूची के आधार पर किया जाएगा जैसा कि चयनित होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत निम्न प्रकार से है।

सामान्य वर्ग/भूतपूर्व सैनिक	:	35 प्रतिशत
एस0सी/एस0टी/ओ0बी0सी.	:	33 प्रतिशत

<u>इस भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार नही होगा ।</u>

12. भर्ती के समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे–

1. शैक्षिक योग्यता/जन्म तिथि की पुष्टि के लिये मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास का प्रमाण पत्र ।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जो भी लागू हो परिशिष्ट I व II में निर्धारित प्रारूप के अनुसार जो कि राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे रैंक का न हो द्वारा जारी होना चाहिए ।
3. हिलमैन या ट्राइब्समैन प्रमाण पत्र जो कि परिशिष्ट–III में प्रदत्त फॉर्मेट में होना चाहिए। (यदि परिशिष्ट ऊॅंचाई में छूट लेने संबंधी श्रेणी में है तथा इस छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते है।)।
4. भूतपूर्व सैनिकों के मामलें मे डिस्चार्ज प्रमाण पत्र ।
5. एन0सी0सी0/स्काऊट एवं गाईड/खेलकूद/कम्प्यूटर में निपुणता की अतिरिक्त योग्यता के संबंध में अन्य कोई प्रमाण–पत्र यदि कोई हो ।
6. शासकीय/अर्ध शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए कार्यालय/विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र ।
7. हाल में खींचे गए पासपोर्ट साईज के चार फोटोग्राफ ।

13. <u>सामान्य शर्तेः–</u>

1. उम्मीदवार अपने खर्च पर परीक्षा/चयन हेतु सम्मिलित होंगे और इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा। उन्हें भर्ती स्थान पर ठहरने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी । भर्ती प्रकिया 6–7 दिन तक चल सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पैन व पैंसिल अपने साथ लेकर आएं।
2. परीक्षा/भर्ती/यात्रा के दौरान घायल/चोटिल हो जाने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।
3. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार, केरिपुबल अधिनियम 1949 एवं नियमावली 1955 तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत शासित होंगे ।
4. सभी पद वर्दीधारी (Combatised) हैं और पूर्णतया अस्थायी है, परन्तु आगे बने रहने की संभावना है । चयनित उम्मीदवार को भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।
5. भर्ती के लिये कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवार भर्ती प्रकिया में सम्मिलित होने से स्वतः अयोग्य हो जाएंगे ।
6. भर्ती हेतु आवेदन–पत्र भेजने की आवश्यकता नही है। इच्छुक/पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि/समय पर भर्ती बोर्ड के समक्ष ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, बनतालाब, जम्मू में उपस्थित होंगे ।
7. प्रशासनिक कारणों से रिक्तियॉ घट–बढ़ सकती हैं ।
8. अधिवासिता – अखिल भारतीय स्तर पर ।

9. सभी परिक्षाओं तथा चिकित्सा परीक्षण में सफलता प्राप्त कर लेने से नियुक्ति की गारंटी नही है क्योंकि संयुक्त योग्यता सूची में श्रेणीवार आबंटित रिक्तियों के अनुसार ही नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए जाएगे ।

10 भर्ती प्रकिया का विवरण तथा अन्य संबंधित सूचना/सहायता के लिए उम्मीदवार के0रि0पु0बल की बैबसाईट (www.crpf.nic.in) तथा टेलिफोन नं0 0191–2592071, 2592297 एवं 2597701 पर संपर्क कर सकते है।

14. <u>उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना</u>

इस भर्ती प्रकिया के दौरान दलालों एवं जालसाजों से सावधान रहने की आवश्यकता है चूँकि के0रि0पु0बल में भर्ती के लिए कोई रूपया–पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने किसी को रूपया–पैसा दिया है या देने का वादा किया है तो आपने धोखा खाया है तथा आप अपना धन गंवा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति रूपया–पैसा की मांग करता है अथवा भर्ती कराने का वादा करता है तो भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को तत्काल सूचित करें ।

हस्ता01/6/2010

(कुलबीर सिंह)
<u>पुलिस उप महानिरीक्षक(प्रशा.)</u>

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....पुत्र श्री.............................. ग्राम/नगर ....जिला/राज्य/मंडल/संघ राज्य क्षेत्र ....के निवासी........................... जाति/जन जाति से संबंधित है जो निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैः–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम–1971) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976)
' संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति ओदश,1956
' संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1959
' अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित ।
' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति ओदश, 1962
' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1962
' संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1964
' संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1967
' संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति ओदश, 1968
' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1962
' संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1970
' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति ओदश, 1978
' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1978
' संविधान (अनुसूचित जाति) ओदश (संशोधन), अधिनियम 1990
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) ओदश (संशोधन), अधिनियम 1991
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) ओदश (द्वितीय–संशोधन), अधिनियम 1991
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) अध्यादेश, 1996

02. यह प्रमाण पत्र श्री ....पुत्र श्री................... ग्राम/नगर.......................... जिला/मंडल................ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र........................को जो..................... जाति/जन जाति से संबंधित हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं को अथवा श्री...............तथा अथवा उसका परिवार जो साधारणतया ग्राम/नगर....................जिला/मंडल................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं को..........................(जारी करने वाले निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी का नाम) द्वारा उनके दिनांक .... संख्या............................के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति

प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है

स्थान..	हस्ताक्षर................................
दिनांक...	पदनाम.......................................
	(कार्यालय मुहर सहित)

टिप्पणी :– यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर /प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।

2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/ महाप्रांत मजिस्ट्रेट

3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।

4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

भारत सरकार के अन्तर्गत पदों हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछडा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

(भारत सरकार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 02/07/1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94–स्था0(रेंज))

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....पुत्र/पुत्री श्री.............................. ग्राम ....जिला/प्रमण्डल..................राज्य......................समुदाय...........................के हैं जो निम्न के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है :–

1) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, न0 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/63/93–बी सी.सी(सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993.

2) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94–बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर 1994.

3) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0– 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95–बी.सी.सी. दिनांक 24 मई 1995.

4) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0– 210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96–बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर 1996.

श्री.......................................तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया राज्य के.................... जिला/प्रमण्डल ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/22/93 सी0(एस.सी.टी.) दिनांक 08/09/1993 की अनुसची के कालम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

स्थान..   हस्ताक्षर..............................

दिनांक................................
पदनाम.......................................

(कार्यालय मुहर सहित)

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।

2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/ महाप्रांत मजिस्ट्रेट

3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।

4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/ या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

परिशिष्ठ—III

ऊंचाई अथवा सीने के माप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थीयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पुत्र श्री... जिनका सत्यापित फोटो नीचे लगा है, ग्राम......................... तहसील/तालुका..जिला.....................................राज्य ....का स्थाई निवासी है।

सत्यापित फोटो

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री..(गढवाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, हिमांचली, लद्दाखी कश्मीरी, सिक्किमी) समुदाय के (समुदाय का नाम) समुदाय से सम्बन्धित है और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री..(पूर्वोत्तर राज्यों) के (राज्य का नाम) राज्य का मूल निवासी है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री..(जनजाति का नाम) जनजाति/आदिवासी समुदाय से सम्बन्धित है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

गोल मोहर

स्थान —

जिलाधिकारी/सब डिविजनल

दिनांक —

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के हस्ताक्षर मोहर के साथ

परिशिष्ठ– IV

मेडिकल जॉच की समीक्ष (रिव्यू) संबंधी प्रमाण–पत्र का प्रोफार्मा

मैं, डॉ0.. प्रमाणित करता हूॅं, कि श्री / श्रीमती / कुमारी ....(रोल नं0...) सपुत्र श्री...जिसे के0रि0पु0बल की सिपाही / चालक की भर्ती में .... के कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य(अनफिट) घोषित किया है, की मैने चिकित्सा–जॉच की है। ध्यानपूर्वक जॉच एंव अनवेषण करने के उपरांत यह राय व्यक्त की जाती है कि श्री / श्रीमती / कुमारी...बीमारी .... से पीडित है / पीडित नही हैं।

02 इस उम्मीदवार ने इस तथ्य की पूरी जानकारी दी है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए अनफिट घोषित किए जाने के कारण उम्मीदवार को पहले ही निकाला जा चुका है।

....
(नाम व रोल नं0 सहित उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम और मोहर सहित)